रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 —Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1985/ज्येष्ठ 11, 1907
No. 227] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1985/JYAISTHA 11, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paying is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1985

सं. 138/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का.नि. 470(अ) :– केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की

पहली अनुसूची की मद सं. 68 के अंतर्गत आने वाले निधेषित ऊन को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

[सं. 138/85-सी ई (एफ़ सं. 13/119/82-सी एक्स 1)]

वी० के० जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st une, 1985

No. 138|85—CENTRAL EXCISE

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts scoured wool, falling under Item 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

[No. 138/85-CE(F. No. 13|119 82-CX I)]

B. K. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985